

प्रेषक,

अविल कुमार बाजपेही,
विशेष सचिव
३०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
३०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मण्डिल वस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-अलीगढ़ की निकाय-कौड़ियांगंज की 48 आवासों की 01 परियोजना में मूल्यवृद्धि की वित्तीय स्वीकृति।

लखनऊ : दिनांक ३) मार्च, 2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-५३४१/१०/आसरा/मूल्यवृद्धि/समिति/२०१७-१८(याल्पूर्त-३) दिनांक २६ मार्च, २०१८ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी गरीबों के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मण्डिल वस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-३७ से वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद-अलीगढ़ की निकाय-कौड़ियांगंज की 60 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 48 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-१४४०/६९-१-१४-१८(आसरा-३७)/२०१४, दिनांक ०३ अगस्त, २०१४ द्वारा ₹ १८८.९१ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में ₹ ० ९४,४५५ लाख एवं शासनादेश संख्या-५९८/२०१६/२०२१/६९-१-१६-१६(आसरा-३७)/२०१४, दिनांक २३ सितम्बर, २०१६ द्वारा द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में ₹ ० ११४.४४ लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट की धनराशि से अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना में हुई मूल्यवृद्धि के दृष्टिगत कुल ₹ २१९.८३ लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष निम्नलिखित लालिका के स्तम्भ-९ में अंकित मूल्यवृद्धि के रूप में देय अन्तर की धनराशि ₹ ० ३०.९२ लाख (रुपये तीस लाख बाहरे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:- (धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद/ निकाय का नाम/ कुल आवासों की संख्या	मूल परियोजना को कुल आवासीय लागत (अवस्थाप ना सुविधाओं सहित)	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों के संख्या	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों परियोजना की मूल लागत (अवस्थापना सुविधा सहित)	परियोजना की हेतु प्रथम की एवं द्वितीय पुनरीक्षित किशत के परियोजना रूप में कुल लागत	आवासों की कुल लागत	अवस्थापना सुविधाओं सहित सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के ४८ आवासों की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति परियोजना की कुल धनराशि (४-५)	अवस्थापना सुविधाओं सहित सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के ४८ आवासों की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति परियोजना की कुल धनराशि (४-५)
१	२	३		५	६	७	८	९
१	अलीगढ़/ कौड़ियांगंज -६० आवास	२३६.१४	४८	१८८.९१	१८८.९१	२७४.७९	२१९.८३	३०.९२
योग								३०.९२

1. उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी)दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी। पाव्र लाभार्थियों के नियमानुसार चयन का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा तथा निदेशक, सूडा को होगा।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय सम्बन्ध समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाने, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय ब्लियर्मों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्फेलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
6. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो इसे सूडा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेग।
7. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीट आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
8. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. परियोजना को इसी पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराकर जनपयोगी बनाया जाय। परियोजना का भविष्य में कोई और पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। वर्क इन के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की लागत का समस्त उत्तरदायित्व सूडा/इडा/कार्यदायी संस्था का होगा।
10. उक्त धनराशि वैक के माध्यम से आहरण के पश्चात राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथारेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
14. बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एक वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपद के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
15. अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर सम्बन्धित इडा के माध्यम से कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के ८० प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय। कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के स्वीकृति आदेश में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे भी उपलब्ध कराये जायेंगे।
17. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का जिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
18. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम०ओ०य०) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
19. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी ३१ मार्च, २०१८ तक व्यय हो सके।
20. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा द्वारा कार्य की गुणवत्ता जांचने/सन्तुष्ट होने के पश्चात ही अंतिम भुगतान किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
21. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

क्रमदीय
क्रमांक 11

(अनिल कुमार बाजपेयी)

विशेष सूचिव।

संख्या- 2018/647(1)/69-1-18 तिथिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०.२० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तला, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, अलीगढ़।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-५, ३०प्र० शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जयाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को दिभणीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से

(अधिकारी ब्रह्मचारी)

अनु सूचिव।